(12)

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या–217/XVIII(1)/2022-03(8)/2018
देहरादूनः दिनांकः 14 ~~फरवरी~~ मार्च 2022

अधिसूचना

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 18 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18	नियम 15 या नियम 16 के अधीन चयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् द्वारा नियत किया जाय, जो सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस नियमावली के अधीन तैनाती के पूर्व साढ़े चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।	18 नियम 15 या नियम 16 के अधीन चयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् द्वारा नियत किया जाय, जो सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस नियमावली के अधीन तैनाती के पूर्व साढ़े चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें : परन्तु यह कि नायब तहसीलदार पद पर चयनित कार्मिकों के सम्बन्ध में विहित प्रशिक्षण अवधि दिनांक 22.08.2013 से दिनांक 04.01.2014 तक, सेवा में जोड़ी जाएगी।

(रविनाथ रामन)
सचिव

NT-U.O.Letter

पं0-08 | क्र0-1343 | दि0-23-03-22

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–1

संख्या– 223 /XVIII(1)/2022-03(8)/2018

देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च, 2022

राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–217, दिनांक 14.03.2022 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां राजस्व अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

DRC.

16/3/22

SO (NT Est)

21/3/22

संलग्न–यथोपरि।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)

सचिव